आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
5/6/18	**न्यायालय आरबीट्रेटर सह अपर समाहर्त्ता, पटना** **विवाचन वाद सं0–15/2015** **महादेव साव बगैरह** **बनाम** **परियोजना निदेशक NHAI, पटना वगैरह** **आदेश** प्रस्तुत वाद NH-30 पटना–बख्तियारपुर फोरलेन विस्तारिकरण हेतु LA Case No. 49/11–12 द्वारा अर्जित मौजा–नसीरपुर ताजपुर, थाना नं0–40 में भू–अर्जन से प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित दर पर विरोध स्वरूप महादेव साव, पिता–स्व0 बुलकन साव वो बबन साव, पिता–महोदव साव वो सुमित्रा देवी, पति–महादेव साव वो रूकमणी देवी, पति–स्व0 वासदेव साव, सा0 कटरा बाजार रिकाबगंज, पटना सिटी, थाना–मालसलामी, जिला–पटना द्वारा लाया गया। वादीगण के द्वारा पहले माननीय उच्च न्यायालय, पटना से CWJC No 10855/2013 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 15.10. 2014 को आदेश पारित करते हुए कहा गया कि:– "Taking identical view in this case this petition is disposed of with the observation and direction, Petitioners so advised may approach the Arbitrator by filling an application under section 3G (5) of the Act and giving details of their claim with respect to the calculation of the compensation amount. If such application is filed before the Arbitrator, he will decide the same by a reasoned order in accordance with Law after giving proper notice to the Parties." माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में वादीगण के द्वारा यह विवाचन वाद दायर किया गया। दिनांक 29.07. 16 को वादी सं0 1 महादेव साव के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया, कि वादी सं0 3 सुमित्रा देवी कि दिनांक 23.12.2015 को मृत्यु हो गयी है। सुमित्रा देवी के पति एवं पुत्र इस वाद के पक्षकार है, जो सुमित्रा देवी के वैध उत्तराधिकारी है। सुमित्रा देवी का नाम याचिका से विलोपित	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

करने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार कियाा गया।

वादीगण द्वारा दायर विवाचन वाद का मूल बिन्दु जिसपर उनका विरोध है वो अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित प्रकृति पर है। वादीगण का दावा है कि उनकी भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु दर का निर्धारण व्यावसायिक रूप में होना चाहिए, जबकि बिना जाँच पड़ताल के उनकी भूमि का दर कृषि प्रकृति के भूमि के लिए निर्धारित दर के आधार पर कर दिया गया है।

वादीगण के दावा के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी सह जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि वादीगण कि भूमि से सम्बन्धित भू–अर्जन कि कार्यवाई निम्न प्रकार से कि गई है:–

1) धारा 3(A) का प्रकाशन – 18/06/10
2) धारा 3(D) का प्रकाशन – 03/03/11
3) दखल कब्जा – 29/09/11
4) रकवा – 6.1849 हेक्टर यानि 15.29 एकड़
5) वादग्रस्त भूमि – खाता सं0–88 खेसरा सं0–364, रकवा–0.6053928एवं खाता–85 खेसरा–365, रकवा–0.3653616

अर्जित भूमि का दर का निर्धारण हेतु सरकार का स्पष्ट निदेश है कि दर का निर्धारण अर्जित की जा रही भूमि के Actual Use के आधार पर किया जाय। उक्त आलोक में ही L.A. Case No.-49/2011-12 द्वारा अर्जित मौजा–नसिरपुर ताजपुर, थाना नं0–40 में अर्जित कि गई भूमि जिसपर कृषि कार्य हो रहा था के आधार पर अर्जित भूमि की प्रकृति कृषि निर्धारित कर दर निर्धारण किया गया है तथा महादेव साव को खेसरा सं0–364 एवं 365 से कुल रकवा–0.19 एकड़ का 100% मुआवजा राशि मो0 1186124.40 रूपये दिनांक 02.01.2014 को भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार सुमित्रा देवी को खेसरा सं0 364 एवं 365 कुल रकवा– 0.2242456 एकड़ का 100% मुआवजा राशि कुल मो0–

क्रम की न सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	11,57,726.00 (ग्यारह लाख सन्तावन हजार सात सौ छब्बीस) रूपये मात्र का दिनांक 02.09.2014 को भुगतान किया गया। उक्त खेसरा में इसी प्रकार अन्य रैयतों को भी भुगतान किया गया है। वादीगण के दावा के संदर्भ में परियोजना निदेशक द्वारा कहा गया है कि अर्जित भूमि कि प्रकृति का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा विधिवत खतियान एवं भूमि का अधिसूचना प्रकाशन के समय वास्तविक इस्तमाल के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल कि सभी भूमि व्यवसायिक है यह स्वीकार योग्य तथ्य नहीं है। साथ ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें उनकी भूमि का उपयोग व्यवसायिक रूप में हो रहा हो। NHAI की ओर से आगे कहा गया कि वादग्रस्त भूमि पूर्णतः कृषि भूमि होने के तथा उक्त भूमि पर कृषि कार्य हो रहे होने के कारण ही भूमि कि प्रकृति कृषि निर्धारित कर मुआवजा भुगतान की गई है। NHAI कि ओर से वादीगण के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, पटना सदर, भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात पत्रांक 04 दिनांक 15.01.2018 को समर्पित प्रतिवेदन के माध्यम से प्रतिवेदित किया है किः–"अर्जित भूमि न्यू–बाईपास, NH-30, पटना–बख्तियारपुर के दक्षिण में अवस्थित है तथा उक्त भूमि मुख्य सड़क के किनारे रोड का ढ़लान (Sloping) पर अवस्थित है।" खेसरा सं0–364 एवं 365 मुख्य उच्च पथ NH-30 के नीचे है एवं वर्त्तमान में वादीगण की प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। साथ ही उक्त भूमि के अगल–बगल भी वर्त्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है, परन्तु सड़क निर्माण के उपरान्त किनारे कि कुछ जमीन का उपयोग वाणिज्य कार्य हेतु किया जा रहा है।	

(3)

आदेश की कम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि NH सड़क निर्माण के पश्चात कुछ भूमि पर वाणिज्य कार्य प्रारंभ हुए हैं, परन्तु पूर्व में ऐसा कार्य होने का साक्ष्य नहीं है। वादीगण कि क्रय भूमि पर वर्त्तमान में भी कृषि कार्य हो रहा है। अधिसूचना प्रकाशन के समय भी कृषि कार्य हो रहा था। फलतः वादीगण का प्रकृति परिवर्तन के बिन्दु पर किया गया दावा स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आरबीट्रेटर —सह— अपर समाहर्त्ता पटना।	